झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा०खा०आ० (विविध)–65 / 2018 (भाग–2)– 841

प्रेषक,

नरेश प्रसाद केवट
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:– 16.12.2021

विषयः– **आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–648 दिनांक–16.09.2021। (Pg-135 (C))

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 (6–च) के आलोक में आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन / आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था:–

1. राज्य में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित प्राईमरी (I–V), अपर प्राईमरी (VI–VIII), प्राईमरी एवं अपर प्राईमरी तथा कुल विद्यालयों की जिलावार संख्या / लाभान्वित बच्चों की संख्या एवं कुल संख्या।
2. राज्य में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित / लाभान्वित बच्चों की संख्या।
3. राज्य में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित सरकारी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों, मदरसों / मकत्बों की संख्या एवं उनमें नामंकित / लाभान्वित बच्चों की संख्या।
4. Covid-19 के दौरान संचालित किये गये कार्यक्रम / योजना से संबंधित विवरणी।

उपरोक्त प्रतिवेदन / आंकड़े आयोग को अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/12/21

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261